TDC-II(N)
PAPER-III

POL. SCIENCE

Dr. S.B. Kumar

State Government (Legislature)
राज्य सरकार (विधायिका)

(i) विधान परिषद (Legislative Council) (ii) विधान सभा (Legislative Assembly)

केन्द्रीय विधान मंडल की तर्ज पर राज्यों में भी विधान मंडल का गठन किया गया है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना केन्द्र एवं राज्यों - दोनों के स्तर पर किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता होती है जो कार्यपालिका का निर्माण और उस पर नियंत्रण कर जनता के विचारों को अभिव्यक्त करे तथा जनता की संप्रभुता के सिद्धांत को मूर्त रूप दे। विधानमंडल एक ऐसा ही यंत्र है। राज्यों के स्तर पर विधानमंडल एक सदनीय तथा द्विसदनीय हो सकती है जहाँ प्रायः प्रथम सदन या निम्न सदन व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत पर गठित होता है तथा द्वितीय सदन या उच्च सदन कुछ विशेष वर्गों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसका काम राज्य सूची (State List) के विषयों पर कानून बनाना है। राज्यों के शासन में विधान मंडल का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) इसी के एक सदन (विधान सभा) के प्रति उत्तरदायी है। भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों का स्वरूप एक-सा नहीं है। कुछ राज्यों की विधानमंडलों में एक ही सदन है। जहाँ विधानमंडलों में एक ही सदन है, उस सदन को विधान सभा (Legislative Assembly) कहा जाता है। जिन राज्यों में विधानमंडलों के दो सदन है, वहाँ उच्च सदन को या द्वितीय सदन को विधान परिषद (Legislative Council) और निम्न सदन या प्रथम सदन को विधान सभा ~~कहा जाता है~~ (Legislative Assembly) कहा जाता है। वर्तमान में ~~छह~~ सात राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं जम्मू और कश्मीर में विधानमंडलों में दो-दो सदन है।

विधान परिषद (Legislative Council) - संगठन, अधिकार और कार्य

संविधान का अनुच्छेद 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होगी जो राज्यपाल (Governor) और वहाँ के विधानमंडल को मिलाकर बनेगी। संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि यदि राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित ~~और~~ सदस्यों के

Scanned with CamScanner

दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का कोई प्रस्ताव पास हो कि उक्त राज्य में विधान परिषद का निर्माण ~~और~~ या विघटन किया जाए, तो संसद कानून बनाकर विधान परिषद का निर्माण या विघटन कर सकती है। यह एक स्थायी सदन है जिसके ~~एक तिहाई~~ सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

विधान परिषद का संगठन :- विधान परिषद विधानमंडल का उच्च या द्वितीय सदन है। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। लेकिन यह संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित ढंग से होगी :-

1.) कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों, या अन्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों से चुने जाएँगें।

2.) कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएँगें।

3.) कुल सदस्य संख्या का 1/12 भाग विभिन्न विश्वविद्यालयों के तीन वर्ष के स्नातकों (graduates) अथवा समान योग्यता वाले पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा चुना जायेगा।

4.) कुल सदस्य संख्या का 1/12 भाग उन सभी शिक्षण संस्थाओं के तीन वर्ष पुराने शिक्षकों द्वारा चुना जायेगा ~~है~~ जो माध्यमिक स्कूल से नीचे ~~के~~ का न हो।

5.) शेष सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेंगें जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो।

निर्वाचन गुप्त तरीके से अनुपातिक प्रतिनिधित्व ~~प्रणाली~~ की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है।

<u>सदस्यता के लिए योग्यताएँ</u> :- संविधान के अनु० 173 में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं :

1.) भारत का नागरिक हो।

2.) कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

3.) इस ~~विषय~~ संबंध में निर्मित किसी विधि द्वारा निर्धारित योग्यताएँ रखता हो।

4.) भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं ग्रहण करता हो या पागल अथवा दिवालिया न हो।

Scanned with CamScanner

विधान परिषद के कार्य :- विधान परिषद के अधिकारों एवं कार्यों को स्थूल रूप से तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :

1.) प्रशासन संबंधी कार्य :- प्रशासन के क्षेत्र में विधान परिषद पूर्णतः शक्तिहीन एवं निर्बल है। फिर भी विधान परिषद विवाद, प्रश्न, पूरक प्रश्न, काम-रोको प्रस्ताव आदि के द्वारा कार्यपालिका पर कुछ अंश में नियंत्रण रखती है।

2.) विधि-निर्माण संबंधी कार्य : विधि-निर्माण के क्षेत्र में भी विधान परिषद बिल्कुल शक्ति शून्य है। धन विधेयक इस सदन में प्रस्तावित नहीं हो सकता। अन्य विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तावित हो सकते हैं और दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर ही राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं। वह कुछ समय के लिए किसी विधेयक को विलंब कर सकती है लेकिन कानून बनने से रोक नहीं सकती।

3.) वित्त संबंधी कार्य :- वित्तीय क्षेत्र में भी विधान परिषद राज्य सभा की ही तरह शक्ति शून्य है। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं हो सकता है। विधान परिषद 14 दिनों के अंदर उस पर अपना सुझाव देगी। अगर इस अवधि के अंतर्गत उसका कोई सुझाव नहीं आता है तो उसे परिषद से स्वीकृत मान लिया जाता है। विधान परिषद की स्थिति इस तरह बहुत ही कमजोर है।

इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विधान परिषद राज्य के शासन संगठन का अलंकारिक भाग भर रह गई है। आलोचकों ने इसकी उपयोगिता पर ही प्रश्न-चिह्न खड़ा कर दिया है। आलोचकों के अनुसार पिछले दरवाजे से जनता से खारिज प्रतिनिधियों को आश्रय प्रदान करना ही इसकी उपयोगिता है। फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विस्तृत प्रतिनिधित्व को विधान परिषद सुनिश्चित करती है ताकि शासन में ऐसे लोगों का भी लाभ मिल सके जो किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं।

—x—

Scanned with CamScanner

Introduction page-1 पर लिखित है।

विधान सभा (Legislative Assembly) :- संगठन, अधिकार एवं कार्य- विधान सभा राज्य के विधानमंडल का निम्न या प्रथम सदन है। यह जनता की प्रतिनिधि-सभा है। विधानसभा ऐसे सदस्यों से मिलकर बनती है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते हैं। पूरे राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है अर्थात् 18 वर्ष या इससे ऊपर के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, मताधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुसार राज्य की विधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इसका एक अपवाद सिक्किम विधान सभा है जिसकी सदस्य संख्या 32 है।

विधान सभा का संगठन :- राज्य की विधान सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए प्रायः वे ही योग्यताएँ व शर्तें रखी गई हैं जो लोकसभा की सदस्यता के लिए रखी गई हैं। विधान सभा की सदस्यता के लिए आवश्यक है कि — ① भारत का नागरिक हो।

② आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो।

③ उन सारी शर्तों को पूरा करते हो, जिन्हें संसद निर्धारित करे।

④ भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर अथवा पागल व दिवालिया घोषित न हो।

संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार विधान सभा की अवधि 5 वर्ष है और अवधि पूरा होने पर वह स्वयं विघटित हो जाती है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसका विघटन हो सकता है जब सरकार विश्वास-मत में हार जाती है तथा कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो।

विधानसभा के अधिकार व कार्य :- विधान सभा के शक्तियों व कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है :

① **विधायी कार्य :-** राज्य की समस्त विधायिनी शक्तियाँ विधान सभा में केन्द्रित है। विधान परिषद केवल किसी अवित्तीय विधेयक पर अधिक से अधिक चार महीनों तक देर लगा सकती है। राज्य विधान-मंडल राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। इसके अतिरिक्त राज्य का विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।

Scanned with CamScanner

② कार्यपालिका संबंधी अधिकार :- राज्य में भी संसदीय शासन पद्धति की स्थापना की गई है। फलतः राज्य के प्रशासन पर विधान सभा का पूर्ण नियंत्रण रहता है। विधान सभा के बहुमत से ही मंत्रिपरिषद (कार्यपालिका) का निर्माण किया जाता है और सामूहिक रूप में मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान सभा को अधिकार है कि वह प्रश्नों व पूरक प्रश्नों द्वारा शासन से सार्वजनिक रूप से प्रशासन के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करे। विधान सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को अपदस्थ कर सकती है।

③ वित्तीय अधिकार :- राज्य के वित्त पर विधान सभा का पूर्ण नियंत्रण रहता है। धन विधेयक केवल विधान सभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा आय-व्ययक बजट विधान सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुदान संबंधी मांगों के संबंध में विधान सभा की ही चलती है तथा वह मांग को स्वीकृत कर सकती है या किसी मांग की राशि में कमी कर सकती है। राज्य में कोई कर बिना विधान सभा की अनुमति के नहीं लगाया जा सकता।

इसके अतिरिक्त विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। विधान सभा, विधान परिषद के गठन या समाप्ति से संबद्ध प्रस्ताव भी पास कर सकती है।

इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अधिकारों एवं कार्यों के मामले में विधान सभा विधान परिषद से ज्यादा सशक्त है क्योंकि विधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्तियाँ जन प्रतिनिधियों के हाथों में होती है। कानून निर्माण से लेकर वित्तीय मामले तक सभी में विधान सभा की स्थिति मजबूत है।

—x—

Scanned with CamScanner